निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1941 (श0)

(सं0 पटना 150) पटना, मंगलवार, 18 फरवरी 2020

सं० 08/आरोप–01–16/2019 सा0प्र0–2000
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
7 फरवरी 2020

श्री सूरज कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1198/2011 अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर गया को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 25.04.2019 को परिवादी श्री सैयद शारिम अली से 2,00,000/– (दो लाख) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–018/2019 दिनांक 25.04.2019 धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज होने की सूचना निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 997 दिनांक 29.04.2019 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक. में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) तथा नियम–9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सूरज कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1198/2011 अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर गया को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 25.04.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

तदुपरांत जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 5359 दिनांक 27.08.2019 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप पत्र विभागीय स्तर पर पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 13740 दिनांक 04.10.2019 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त क्रम में श्री सिन्हा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 27.12.2019) समर्पित किया गया।

तत्पश्चात श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री सूरज कुमार सिन्हा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1198/2011 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

श्री सिन्हा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रामशंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 150-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in